

"कार्यालय-ज्ञाप"

शासनादेश सं0-43/XXX(2)/2013-3(1)2007 दिनांक-09.01.2013, शासनादेश सं0-153/XXX(2)/2015-3(2) 2010 दिनांक-09.04.2015, शासनादेश संख्या- 1333/III(1)/15-190(PWD) 01 टी0सी0-IV दिनांक-01.09.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार एवं शा0 सं0-94/XXX(2)/2020-55 (47)/2004 दिनांक-18.03.2020 के कम में खण्डीय संवर्ग में स्वीकृत पदों के सापेक्ष प्रशासनिक अधिकारियों की वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-8, वेतनमान रू0 47600-151100 (पुराना वेतनमान रू0 9300-34800, ग्रेड पे-4800) में वास्तविक योगदान की तिथि से पदोन्नति प्रदान किये जाने के आदेश निम्नानुसार एतद्वारा पारित किये जाते हैं-

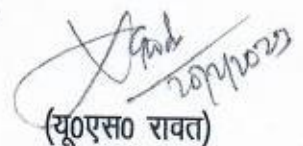
क0सं0	ज्ये0क	कर्मचारी का नाम	वर्तमान खण्ड का नाम	तैनाती खण्ड का नाम
1	2	3	4	5
1	701	श्री उपेन्द्र लाल शाह	प्रा0ख0 टिहरी	प्रा0ख0 अल्मोड़ा
2	702	श्री धूम सिंह दिलवाल	नि0ख0 बड़कोट	प्रा0ख0 डीडीहाट

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। उक्त कार्मिक को पदोन्नत पद पर नव तैनाती खण्ड में दिनांक-25.02.2023 तक योगदान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक योगदान न करने पर यह पदोन्नति फोरगो समझी जायेगी। पदोन्नति पद त्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-223/XXX(2)/2020-30(22)/2018 दि0-07 अगस्त, 2020 के प्राविधान लागू होंगे तथा वेतन निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या-88085/ xxvii(7)/E-43634/2022, दिनांक-03 जनवरी, 2023 में निहित प्राविधानों के अनुसार "वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-22(ए) (1) एवं 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिए जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की समय-सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।" उक्त पदोन्नति योगदान की तिथि से मान्य होगी।

आज्ञा से,
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
- अधीक्षण अभियन्ता, 01/03/06/08वां वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/उत्तरकाशी/टिहरी।
- मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी.....
- अधिशाली अभियन्ता प्रा0/नि0 खण्ड, लो0नि0वि0, टिहरी/अल्मोड़ा/डीडीहाट/बड़कोट को सम्बन्धित कार्मिकों की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित कार्मिकों की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित कार्मिक श्री.....
- गार्ड फ़ावली।


(यू0एस0 रावत)

वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (अधिष्ठान)
20/2/2023



"कार्यालय-ज्ञाप"

शासनादेश सं०-43/XXX(2)/2013-3(1)2007 दिनांक-09.01.2013 व शासनादेश सं०-348/XXX(2)/2016-03(02)का०-2/2010 दिनांक-22.12.2016, शासनादेश सं०-1333/111(1)/15-190(PWD)01 टी०सी०-IV दिनांक-01.09.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार एवं शा० सं०-94/XXX(2)/2020-55 (47)/2004 दिनांक-18.03.2020 के क्रम में खण्डीय संवर्ग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रिक्त पद पर वेतन मैट्रिक्स लेबल-10 वेतनमान रू० 56100-177500 (पूर्व वेतनमान रू० 15600-39100 ग्रेड वेतन रू० 5400) में पदोन्नति किये जाने के आदेश एतद्वारा निम्नानुसार पारित किये जाते हैं-

क्र०सं०	ज्ये० क्र०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान खण्ड का नाम	नवीन तैनाती खण्ड का नाम
1	2	3	4	5
1	523	श्री रामेश्वर प्रसाद	प्रा० ख० हरिद्वार	नि०ख० नरेन्द्रनगर
2	524	श्री ललित कुमार धीमान	वि०/या० खण्ड देहरादून	नि०ख० चिन्मालीसौड

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे। उक्त कार्मिक को पदोन्नत पद पर नव तैनाती खण्ड में दिनांक-25.02.2023 तक योगदान करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक योगदान न करने पर यह पदोन्नति फोरगो समझी जायेगी। पदोन्नति पद त्याग करने पर उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-223/XXX(2)/2020-30(22)/2018 दि०-07 अगस्त, 2020 के प्राविधान लागू होंगे तथा वेतन निर्धारण हेतु शासनादेश संख्या-88085/xxvii(7)/E-43634/2022, दिनांक-03 जनवरी, 2023 में निहित प्राविधानों के अनुसार "वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-22(ए) (1) एवं 22-बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण सम्बन्धी तिथि विकल्प दिए जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से एक माह की समय-सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।" उक्त पदोन्नति योगदान की तिथि से मान्य होगी।

आज्ञा से,
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, देहरादून/पौड़ी।
- अधीक्षक अभियन्ता, 06/08वां/11वां वि०या०/सिविल वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी/टिहरी/देहरादून/हरिद्वार।
- कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी/हरिद्वार/नरेन्द्रनगर।
- अधिसासी अभियन्ता प्रान्तीय/निर्माण/वि०या० खण्ड, लो०नि०वि०, हरिद्वार/देहरादून/नरेन्द्रनगर/चिन्मालीसौड को सम्बन्धित कार्मिक की प्रति सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्मिक की कार्यमुक्त/योगदान की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित कार्मिक श्री
- गार्ड फ़ाइल।

(यू०एस०रावत)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर(अधिष्ठा)
20/2/2023